न्यायालय लेण्ड रिकॉर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा

(पिठासीन अधिकारीः— मनसुख राम डामोर, आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या 107 / 2019 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक 12 / 12 / 2019
निर्णय दिनांक 28 / 01 / 2021

अनवान

1. मांगीलाल पिता नाथु ढोली निवासी बामनिया कलां तहसील रेलमगरा
2. शंकर लाल पिता नाथू जाति ढोली निवासी बामनिया कलां तहसील रेलमगरा
3. प्रभूलाल पिता नाथू जाति ढोली निवासी बामनिया कलां तहसील रेलमगरा
4. राजकुमार पिता नाथू जाति ढोली निवासी बामनिया कलां तहसील रेलमगरा
5. रूकमण पिता नाथू जाति ढोली निवासी बामनिया कलां तहसील रेलमगरा

प्रार्थी

विरूद्ध

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,129,111 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि ग्राम बामणिया कलां, तहसील रेलमगरा की सरहद में स्थित आराजी सख्या 2504 / 1166 रकबा 7 बिघा व आराजी सख्या 2509 / 1168 रकवा 4 बिघा चौदह बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 11 बिघा 14 बिस्वा भूमियां स्थित थी। प्रमाण में नकल जमाबन्दी व नक्शाट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ संलग्न है। उक्त आराजीयात् प्रार्थीगण व बदाम बेवा नाथू ढोली के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित होकर उक्त भूमियों का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण ही कर रहे है। प्रार्थीगण की आराजी सख्या 2504 / 1166 व 2509 / 1168 के बीच में व उक्त आराजीयात् के चारो तरफ किसी प्रकार का कोई सीमांकन बाबत् स्थाई रूप से कोई चिन्ह अंकित नहीं है न ही मौके पर विद्यमान है जिससे प्रार्थीगण व प्रार्थीगण की आराजीयात् के पडोसीयों के बीच सीमा को लेकर हमेशा विवाद होने की आशंका बनी रहती है जिससे प्रार्थीगण अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य के चारो तरफ स्थाई रूप से सीमांकन के रूप में पत्थरगड्डी करवाना चाहते है ताकि भविष्य में कभी सीमा संबंधित प्रार्थीगण के बीच एवं अन्य पडोसीयों के बीच कोई विवाद नही हो। इस बाबत् प्रार्थीगण के लिये यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

विपक्षी के प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। इस बाबत् यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी की आराजी सख्या 2504/1166 व 2509/1168 कुल किता 2 कुल रकबा 11 बिघा 14 बिस्वा इन आराजीयात् के चारो तरफ के पडोसियों की आराजीयात् के बीच किसी प्रकार के स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने से पडोसी आये दिन सीमा संबंधित विवाद करते रहते है। जिससे प्रार्थना पत्र न्यायालय आपमें प्रस्तुत करना पड रहा है। प्रार्थी ने विपक्षी को प्रार्थी की आराजी में स्थाई सीमांकन चिन्ह के लिए निवेदन किया गया किन्तु विपक्षी के द्वारा आप न्यायालय के आदेशानुसार ही स्थाई सीमांकन चिन्ह किये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 02/12/2019 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादग्रस्त आराजीयात् में सहखातेदार बदाम बेवा नाथू जी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है परन्तु बदाम बाई की मृत्यू दिनांक 09/06/2014 को हो चूकी है परन्तु नामान्तरकरण निर्णित नहीं होने से उक्त नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है जिससे मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति साथ सलंग्न है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के स्वामित्व की आराजी सख्या 2504/1166 व 2509/1168 के बीच एवं इन आराजीयात् के चारो दिशाओ की आराजीयात् के मध्य पत्थर गड्डी कराने का आदेश तहसीलदार साहब रेलमगरा के नाम पर फरमाया जावें।

इस पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई विपक्षी को जरिये समन्न तलब किया गया विपक्षी की ओर से पेराकार सरकार ने उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने हेतु आपत्ति की गयी। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई पत्रावली एवं उपलब्ध रिकॅार्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने का हक अधिकार निहित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम बामनिया कलां के आराजी सख्य 2504/1166 व 2509/1168 के बीच एवं आराजीयात् के चारो दिशाओ की पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
लैण्ड रेकार्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा
रेलमगरा